सत्र परीक्षण सं0 632/2024 व
सत्र परीक्षण सं0 1540/2023
सरकार बनाम आशू उर्फ आशुतोष आदि

दिनांक 05.05.2026

1— पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 26ख अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0

2— प्रार्थी/अभियुक्त प्रद्युम्न की ओर से प्रार्थनापत्र सं0 26ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 अभिषेक का परीक्षण हुआ था और अभियुक्त द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा भी की गयी थी। साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 अरमेन्द्र सिंह तोमर व पी0डब्ल्यू0—2 सौरभ का परीक्षण पूर्व में हो चुका था और पी0डब्ल्यू0—3 के परीक्षण के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध पी0डब्ल्यू0—1 व पी0डब्ल्यू0—2 ने जो बयान दिए हैं और पी0डब्ल्यू0—3 ने जो बयान दिए हैं उस संबंध में पी0डब्ल्यू0—3 से पुनः प्रतिपरीक्षा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा अपूर्णनीय क्षति होगी, क्योंकि पी0डब्ल्यू0—3 अभियुक्त को जानता ही नही था और उसके परिवार के बारे में भी उसको जानकारी नही है। इस संबंध में गवाह से पूछताछ करनी है। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 को साक्ष्य हेतु तलब करने की कृपा याचना की गयी।

3— अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

4— पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 लगायत पी0डब्ल्यू0—6 को परीक्षित कराया जा चुका है तथा दिनांक 10.07.2024 को साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 अभिषेक तोमर की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी तथा दिनांक 14.10.2024, 05.03.2025 व 10.04.2025 को साक्षी से बचावपक्ष द्वारा प्रति परीक्षा अंकित की गयी। साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 के बयानों के अवलोकन से विदित होता है कि बचावपक्ष द्वारा साक्षी से तीन तिथियों में विस्तृत जिरह की गयी है। इससे स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0—3 अभिषेक का मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा विधिवत सम्पन्न हो चुकी है तथा अभियुक्त को जिरह का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षीगण पी0डब्ल्यू0—4 लगायत पी0डब्ल्यू0—6 को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र में अब जो प्रश्न पूछने का आग्रह किया गया है, वे ऐसे नहीं हैं जो किसी नये तथ्य या अत्यावश्यक परिस्थिति को उद्घाटित करते हों, अपितु वे पूर्व में उपलब्ध अवसर का ही पुनः उपयोग करने का प्रयास प्रतीत होते हैं। विधि व्यवस्था—**राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम शिव कुमार यादव एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्यायें 1187—88/2015 (निर्णय दिनांक 10.09.2015)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 311 द0प्र0सं0 के अंतर्गत गवाह को पुनः बुलाने का अधिकार असाधारण है तथा इसका प्रयोग केवल न्यायहित में, ठोस एवं वास्तविक (bona fide) कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मात्र यह आधार कि पूर्व में प्रभावी जिरह नहीं हो सकी, पुनः बुलाने का पर्याप्त कारण नहीं है। न्यायालय को यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे विचारण में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा गवाह को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे।

6— प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई ठोस, नवीन एवं अनिवार्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि बिना पुनः जिरह कराये न्याय की निष्पक्षता प्रभावित होगी। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कारण सामान्य एवं औपचारिक प्रकृति के हैं, जो धारा 311 द0प्र0सं0 के मानदण्डों को संतुष्ट नहीं करते, बल्कि न्यायालय के विचार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए विचारण को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने का प्रयास है।

7— अतः मामले के समस्त परिस्थितियों, अभिलेखीय साक्ष्य तथा विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के विचार में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रधुमन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 26ख अंतर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 20.05.2026 को पेश हो।

दिनांक 05.05.2026

ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0—1,
आगरा।
आई0डी0 नं0—यूपी—6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.05.05 19:48:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court